

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 20(2)आरडी/ग्रुप-3/नरेगा/2009-10

जयपुर, दिनांक

6 MAR 2010

कोषाधिकारी,
सचिवालय, जयपुर ।

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत राज्य रोजगार गारंटी निधि से राशि
रु 10622.33 लाख संबंधित जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के निजी
निक्षेप खातों में हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के
लिये जारी केन्द्रीय अंश की राशि के विरुद्ध निम्नानुसार राज्यांश की राशि रु. 10622.33
लाख (अक्षरे राशि रु. दस हजार छः सौ बाईस लाख एवं तैंतीस हजार मात्र) संबंधित
जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के निजी निक्षेप खातों में निम्न बजट मद से
हस्तान्तरित करने की निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

बजट मद

8232- ग्रामीण रोजगार गारण्टी निधियां

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी निधि

(01)- ग्रामीण रोजगार गारण्टी निधि

क्र.सं.	जिले का नाम	राशि (रु. लाखों में)
1	अजमेर	0.26
2	बांसवाडा	94.79
3	बाडमेर	2485.35
4	भीलवाडा	143.17
5	बीकानेर	1436.56
6	चित्तौडगढ़	843.78
7	चुरु	477.04
8	दौसा	247.36
9	डूंगरपुर	458.68
10	गंगानगर	634.27
11	जयपुर	414.93
12	जालौर	530.00
13	झालवाड	38.50
14	करौली	304.81
15	नागौर	454.19
16	सवाईमाधोपुर	50.76
17	सीकर	250.94
18	सिरोही	62.75
19	टोंक	452.63
20	उदयपुर	1241.56
	योग	10622.33

(अक्षरे राशि रु. दस हजार छः सौ बाईस लाख एवं तैंतीस हजार मात्र)


भवदीय,

(रामनिवास मेहता)

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार, राज0 जयपुर।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) राजस्थान, जयपुर।
3. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी (महालेखाकार) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा, राजस्थान।
7. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) शासन सचिवालय, जयपुर।
8. उप शासन सचिव एवं आय व्ययक अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संबंधित जिला कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कोषाधिकारी, सचिवालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त उक्त वर्णित राशि संबंधित जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित की जावे।
10. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त राशि का उपयोग योजना की मार्गदर्शिका एवं भारत सरकार के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की ~~संख्या~~ तथा सामग्री लागत की राशि का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। अतः उक्त राज्यांश राशि का उपयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। राज्यांश पेटे दी गई राशि का व्यय हो जाने के उपरान्त ही भविष्य में जिलों द्वारा मांग करने पर ही राज्यांश राशि जारी की जावेगी।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (वित्त एवं लेखा) / (मोनी. एवं मूल्यां.) ग्रामीण विकास विभाग, राज0 जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


16/3/10.
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस